NHB(ND)/DRS/Pol.Circular.61/2013-14
April 7, 2014

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

The Chief Executives of the Registered Housing Finance Companies

Dear Sir/Madam,

Reserve Fund under Section 29C of the NHB Act, 1987

As you are aware that Section 29C (1) of the National Housing Bank Act, 1987 requires every housing finance company to create a Reserve Fund and transfer therein a sum not less than twenty percent of its net profit every year, as disclosed in the profit and loss account before any dividend is declared. The provision also provides that a housing finance company creating and maintaining any special reserve in terms of Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 may take into account any sum transferred by it for the year to such special reserve for the purposes of Section 29C. Further, Section 29C(2) of the NHB Act provides that no appropriation of any sum from the reserve fund including any sum in the special reserve which has been taken into account for the purposes of reserve fund in terms of sub-section (1), shall be made by such company except for the purpose as may be specified by the National Housing Bank from time to time and every such appropriation shall be reported to the National Housing Bank within twenty-one days from the date of such withdrawal.

2. It is observed that there is no uniformity in the matter of presentation of this Reserve Fund in the annual accounts of the housing finance companies. Consequently, need is felt to provide for the manner in which this item is to be presented in the annual accounts which brings more clarity and uniformity. Keeping this in view, the following format is devised for such presentation in the annual accounts under the heading 'Notes forming part of the financial statements' from the financial year 2013-14.

	Current Year	Previous Year
Reserves & Surplus		
Statutory Reserve *(As per Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987)*		
Opening Balance	xxxx.xx	xxxx.xx
Addition during the year	xxxx.xx	xxxx.xx
Appropriation during the year	xxxx.xx	xxxx.xx
Closing Balance	**xxxx.xx**	**xxxx.xx**

3. As mentioned above, Section 29C(2) of the NHB Act also refers to appropriation from such Reserve Fund including any sum in the special reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 which has been taken into account for the purposes of Reserve Fund. Therefore, it is also essential that information in this regard is also clearly provided in the

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति परिपत्र 61/2013-14
07 अप्रैल, 2014

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यपालक

महोदय/महोदया,

रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत आरक्षित निधि

जैसे कि आपको विदित है कि रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी(1) के तहत प्रत्येक आवास वित्त कंपनी हेतु एक आरक्षित निधि का निर्माण करना और जैसेकि लाभ और हानि खाते में किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व प्रकट किया गया हो, उसमें प्रत्येक वर्ष अपने निवल लाभ की न्यूनतम बीस प्रतिशत राशि अंतरित करना अपेक्षित है। इस प्रावधान में यह भी व्यवस्था है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार किसी विशेष आरक्षण निधि का निर्माण और उसे बनाए रखने वाली कोई आवास वित्त कंपनी धारा 29सी के उद्देश्य हेतु ऐसी विशेष आरक्षण निधि में वर्ष के लिए किसी अंतरित राशि को ध्यान में रख सकती है। इसके अतिरिक्त रा.आ.बैंक अधिनियम की धारा 29सी(2) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अनुसार आरक्षण निधि के उद्देश्य हेतु ध्यान में रखी गई विशेष आरक्षण निधि में किसी राशि सहित आरक्षण निधि से किसी राशि का विनियोग, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसी कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा और राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रत्येक ऐसे विनियोग की रिपोर्ट ऐसे आहरण तिथि से 21 दिन के भीतर की जाएगी।

2. यह देखा गया है कि आवास वित्त कंपनियों के वार्षिक लेखाओं में इस आरक्षित निधि को प्रस्तुत करने के मामले में कोई एकरूपता नहीं है। तदनुसार यह आवश्यकता महसूस हुई कि वार्षिक लेखाओं में इस मद को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए जिससे अधिक एकरूपता और स्पष्टता आये। इसे ध्यान में रख कर वित्त वर्ष 2013-14 से 'वित्तीय विवरणों का अंश निर्मित करने वाली टिप्पणियां' शीर्ष के तहत वार्षिक लेखाओं में ऐसे प्रस्तुतीकरण का उल्लेख करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रस्तुत है:

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
सांविधिक आरक्षित निधि (राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अनुसार)		
अथ शेष	xxxx.xx	xxxx.xx
वर्ष के दौरान परिवर्धन	xxxx.xx	xxxx.xx
वर्ष के दौरान विनियोग	xxxx.xx	xxxx.xx
इति शेष	**xxxx.xx**	**xxxx.xx**

3. उपरोक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में किसी भी राशि सहित जो आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु रखी गई है, ऐसी आरक्षित निधि से विनियोग के लिए रा.आ.बैंक अधिनियम की धारा 29सी(2) में भी संदर्भित है। इसलिए, यह भी आवश्यक है कि इस संबंध में सूचना वार्षिक

annual statements. Accordingly, it has been decided that the annual statements shall also contain the following in the Notes forming part of the financial statements:

Particulars		Amount
Balance at the beginning of the year		
	a) Statutory Reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987	xxxx.xx
	b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 taken into account for the purposes of Statutory Reserve under Section 29C of the NHB Act, 1987	xxxx.xx
	c) Total	xxxx.xx
Addition /Appropriation / Withdrawal during the year		
Add:	a) Amount transferred u/s 29C of the NHB Act, 1987	xxxx.xx
	b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 taken into account for the purposes of Statutory Reserve under Section 29C of the NHB Act, 1987	xxxx.xx
Less:	a) Amount appropriated from the Statutory Reserve u/s 29C of the NHB Act, 1987	xxxx.xx
	b) Amount withdrawn from the Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 which has been taken into account for the purpose of provision u/s 29C of the NHB Act, 1987	xxxx.xx
Balance at the end of the year		
	a) Statutory Reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987	xxxx.xx
	b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 taken into account for the purposes of Statutory Reserve under Section 29C of the NHB Act, 1987	xxxx.xx
	c) Total	xxxx.xx

4. Kindly take note of the above and ensure compliance.

Yours faithfully,

(R. S. Garg)
Executive Director

विवरणों में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 'वित्तीय विवरणों का अंश निर्मित करने वाली टिप्पणियां' में वार्षिक विवरणों में निम्नलिखित भी समाविष्ट होगा:-

विवरण	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	
क.) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरिक्षत निधि	xxxx.xx
ख.) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii)के तहत विचारित की गई विशेष आरक्षित निधि की राशि	xxxx.xx
ग.) कुल	xxxx.xx
वर्ष के दौरान परिवर्धन/विनियोजन/आहरण	
परि: क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत अंतरित राशि	xxxx.xx
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विचारित की गई विशेष आरक्षित निधि की राशि	xxxx.xx
घटायें: क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि से विनियोग की गई राशि	xxxx.xx
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विचारित की गई विशेष आरक्षित निधि से आहरण की गई राशि	xxxx.xx
वर्ष के अंत में बकाया राशि	
क.) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरिक्षत निधि	xxxx.xx
ख.) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii)के तहत विचारित की गई विशेष आरक्षित निधि की राशि	xxxx.xx
ग.) कुल	xxxx.xx

4. कृपया उपरोक्त नोट करें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर.एस. गर्ग)
कार्यपालक निदेशक